न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 828 सन 2020

अनवान :–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बृजमोहन पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुरेश कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. गोविन्दराम पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।,
2. आत्माराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अन्पूर्नी पुत्री ख्यालीराम पत्नी सन्तराम जाति जाट हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. प्रेम कुमार पुत्र रोशनी पुत्री ख्यालीराम पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. मदनलाल पुत्र रोशनी पत्री ख्यालीराम पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. विमला पत्नी स्वर्गीय देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकुलपुरा) तहसील नोहर।
7. रामदुलारी पुत्री आत्माराम पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. पुष्पा पुत्री आत्माराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन चक 4 सीवाई एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 15/11 की कुल 6.1110हैक व रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 40/33 की कुल 2.302हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा किशनाराम वल्द बिझाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा किशनाराम वल्द बिझाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा किशनाराम वल्द बिझाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का दादा है प्रतिवादी संख्या 2 वादी का पिता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादीगण की बहने/बुआ एवं बहनों के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता किशनाराम वल्द बिझाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 15/11 की कुल 6.1110हैक व रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 40/33 की कुल 2.302हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा ख्यालीराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है अर्थात ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण का पिता है प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहने/बुआ एवं बहनों के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 15/11 की कुल 6.1110हैक व रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 40/33 की कुल 2.302हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का दादा है वादीगण के दादा ख्यालीराम पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है अर्थात ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है जो मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 15/11 की कुल 6.1110हैक व रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 40/33 की कुल 2.302हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बृजमोहन पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुरेश कुमार पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. गोविन्दराम पुत्र आत्माराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।,
2. आत्माराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर हाल निवासी चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकलपुरा) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अन्पूर्नी पुत्री ख्यालीराम पत्नी सन्तराम जाति जाट हाल निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. प्रेम कुमार पुत्र रोशनी पुत्री ख्यालीराम पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. मदनलाल पुत्र रोशनी पत्री ख्यालीराम पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. विमला पत्नी स्वर्गीय देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन चक 16 आरडब्ल्यूडी (गोकुलपुरा) तहसील नोहर।
7. रामदुलारी पुत्री आत्माराम पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन चक 4 सीवाईएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. पुष्पा पुत्री आत्माराम पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन चक 4 सीवाई एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 828 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 15/11 की कुल 6.1110हैक व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 40/33 की कुल 2.302हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक ख्यालीराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधि...
नोहर